

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 2056]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

का.आ. 2738(अ).—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 293 की उपधारा (4) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), नई दिल्ली के ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक को उक्त संहिता की धारा 293 के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 25016/06/2016-पी.एम.-III]

टी. वी. एस. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2016

S.O. 2738(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (4) of Section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specify the Senior Scientific Assistant of the Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation), New Delhi as the Government Scientific Expert for the purposes of section 293 of the said Code, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25016/06/2016-PM-III]

T. V. S. N. PRASAD, Jt. Secy.